**Agriculture-Based Industries**

2470. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the precise policy of Government to set-up a number of agriculture-based industries and to promote the same in various State, particularly in the North-Eastern Region;

(b) the action being taken by Government in this regard; and

(c) the State-wise and Industry-wise details of the agriculture-based industries set-up in the country as on 30th June. 1998?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) Agro-based industries cover a wide range of both food and non-food items. The food items comes under the Ministry of Food Processing Industries while non food

items are dealt by various ministries based on agriculture product.

Government has no policy to set up any food processing unit directly in any of the States. However, under Plan Schemes, financial assistance in the form of soft loan and grant-in-aid is provided to cooperatives, non Govt. Organisation, public sector undertaking and private industries, etc., for the development of processed food sector, projects to be set up in north eastern region.

(c) As processed food industries are both in organised and up-organised sectors, information regarding the number of state-wiseindustry-wise details is not centrally available.

**विपदग्रस्त कृषकों के लिए राहत**

2471.**श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 12 मार्च,1998 को "दि हिन्दू" गवर्नमेंट टु प्रवॉइड रिलीफ टु डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;और

(ख)क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; यदि हां,तो उसका ब्यौरा क्या हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल)**: (क) और(ख) यह समाचार मुख्य रूप से प्रभावित किसानों के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यक उपायों से संबंधित है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार,राज्य सरकार द्वारा आत्महत्याओं के 13 मामलों में ऐसे प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रूपये स्वीकृत किए जाने की सूचना है जो किसी भी प्रकार से फसल के नुकसान से जुड़े थे । राज्य सरकार ने प्रभावित छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए आदान राजसहायता के रूप में 4.00 करोड़ रूपए की एकमुश्त सहायता भी निर्मुक्त की है तथा अन्नेवारी के आधार पर अल्पकालिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने के लिए कदम उठाए हैं । 1997-98 के दौरान,ऐसी रिपोर्ट मिली है कि राज्य सरकार ने नकली कीटनाशकों की बिक्री से संबंधित 28 मामलों में अभियोजन शुरू कर दिया है ।

राज्य सरकार द्वारा फसल को प्रभावित करने वाली अनेक प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय आपदा राहत कौष से 173.50 करोड़ रूपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है । राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले अंत: मंत्रालीय केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा राहत समिति राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता यदि कोई हो तो उस का निर्णय शीघ्र ही करेगी ।

**उत्तर प्रदेश में समन्वित धन विकास कार्यक्रम**

2472. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने समन्वित धान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं का उत्पादन करनेवाले 38 जिलों में धान के क्षेत्रफल को वर्तमान 1.10 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 16.70लाख हैक्टेयर करने और इस हेतु बड़ी संख्या में धान की पौधशालाएं लगाने से संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है;

(ख) क्या इस मद के अंतर्गत इस संबंध में सिंचाई प्रयोजन हेतु प्रति हेक्टेयर 50 लीटर डीजल की औसत दर पर 27,50,000 लीटर प्रदान करने हेतु शत प्रतिशत अनुदान राशि के रूप में 220 लाख रूपये अपेक्षित हैं;और